# ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के लेखों का

# अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

## भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

**अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :–**

**प्रधान :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री गोपाल सिंह | 01.04.2021 से 31.03.2023 |

**सचिव :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | श्री त्रिलोक नाथ | .01.04.2021 से 17.09..2021 |
| 2. | श्री कुलबीर सिंह | 18.09.2021 से 31.03.2023 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–**

ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

| क्र0सं0 | पैरा संख्या | अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.1 | रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना । | 0.07 |
| 2 | 5 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 9.82 |
| 3 | 6 | पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना । | 0.30 |
| 4 | 7 | रॉयल्टी की वसूली न करना । | 1.00 |
| 5 | 8 | औपचारिकतायें पूर्ण किय बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना | 2.07 |
| 6 | 9 | अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान करना । | 0.05 |
| 7 | 10 | ईटों के क्रय में अधिक भुगतान करना | 0.08 |
| 8 | 11 | निर्माण सामग्री के अनुचित लेखांकन के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान | 0.09 |

## भाग–दो

### 2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 11.03.2024 से 18.03.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

| वित्तीय वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|
| 2021—22 | 02 / 2022 | 07 / 2021 |
| 2022—23 | 03 / 2023 | 05 / 2022 |

**अस्वीकरणः**— इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **अंकेक्षण शुल्क :—**

ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600 / — बनता है। अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 106 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. **वित्तीय स्थिति :—**

ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :—

**(1) स्वः स्त्रोत** :— ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :—

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021—22 | 232010.50 | 52015.00 | 4326.00 | 288351.50 | 111060.00 | 177291.50 |
| 2022—23 | 177291.50 | 47769.00 | 142161.00 | 367221.50 | 235761.00 | 131460.50 |

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में दिया गया है :–

| वर्ष | अथशेष | प्राप्ति | ब्याज | योग | व्यय | अन्तिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 1053442.00 | 5117390.00 | 43601.00 | 6214433.00 | 4798997.72 | 1415435.28 |
| 2022–23 | 1415435.28 | 4378626.00 | 28205.00 | 5822266.28 | 4840440.98 | 981825.30 |

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source,5TH SFC,VKVNY, 14thFC,15th FC, SBM.

| | | |
|---|---|---|
| A/c No. 20113001837 | KCCB Rakker Bheri (SF) | 68951 |
| A/c No. 50056883498 | KCCB Rakker Bheri (5th State) | 13434 |
| A/c No. 50056882473 | KCCB Rakker Bheri (VKVNY) | 110066 |
| A/c No.50056882870 | KCCB Rakker Bheri (14th FC) | 7331 |
| A/C No. 88200100005461 | HGB Banuri (15th FC) | 904199.5 |
| A/C No. 88200100005690 | HGB Banuri (SBM/RGSA) | 2616.8 |
| | **Cash in hand** | **66** |
| | **Total** | **1106664** |

| | |
|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source) | 131460.5 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (5th State) | 13434 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (VKVNY) | 60066 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (14th FC) | 102 |

| | |
|---|---|
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (15th FC) | 904199.5 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (SBM/RGSA) | 2616.8 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (ZP) | 1407 |
| **Total** | **1113286** |
| **Diffrence** | **6621.5** |

## 4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹0.07 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹6,621.50 बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 107 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

## 4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. *हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।*

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 108 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

## 5. अनुदान राशि ₹9.82 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–1)** के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹ 9,81,825.30 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अतः शेष अनुदान की उक्त राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

**6. पंचायत राजस्व ₹0.30 लाख का वसूली हेतू शेष पाया जानाः—**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ₹ 50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार **(परिशिष्ट–2)** पंचायत का कुल राजस्व ₹29,675/– (सम्पत्ति कर ₹27,800/– व विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1875/–) वसूली हेतु शेष थाः–

**सम्पति कर :–**

| **वर्ष** | **अथशेष (₹)** | **गृहकर की माँग (₹)** | **योग (₹)** | **प्राप्ति (₹)** | **वसूली हेतू शेष राशि (₹)** |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | 10800 | 45000 | 55800 | 30100 | 25700 |
| 2022–23 | 25700 | 45000 | 70700 | 42900 | 27800 |

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की

ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं नियमित कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 109 दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹ 27,800/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) की अनुपालना में बकाया राजस्व की वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

## 6.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹1875/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2021–22 व 2022–23 में निम्न विवरणानुसार ₹1875/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थे:–

| क्र0 सं0 | विवाह पंजीकरण संख्या | नाम | विवाह की तिथि | पंजीकरण की तिथि | वसूली योग्य राशि | वसूली गई राशि | वसूली हेतु शेष राशि। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | उदारता पुत्री श्री उपेन्द्र कटोच, बीपीएल | 25.07.21 | 05.08.21 | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 05 | सुनील भाटिया पुत्र श्री ओम प्रकाश, बीपीएल | 25.10.21 | 02.11.21 | 25 | 0 | 25 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07 | भारती राणा पुत्री श्री विक्रम सिंह | 06.11.21 | 20.11.21 | 200 | 0 | 200 |
| 4 | 08 | नेहा पुत्री उघम सिंह | 21.11.21 | 30.11.21 | 200 | 0 | 200 |
| 5 | 02 | अमन कटोच पुत्र श्री अशोक कटोच | 19.04.22 | 06.05.22 | 200 | 0 | 200 |
| 6 | 03 | शिवानी पुत्री श्री ओम प्रकाश, बीपीएल | 21.04.22 | 09.05.22 | 200 | 0 | 200 |
| 7 | 05 | रजत पुत्र श्री समीर सिंह | 11.05कृ22 | 03.06.22 | 200 | 0 | 200 |
| 8 | 06 | नितिका शर्मा पुत्री श्री निशिकान्त शर्मा | 04.12.22 | 12.12.22 | 200 | 0 | 200 |
| 9 | 07 | अंजली पुत्री श्री सुखदेव, बीपीएल | 04.12.22 | 17.12.22 | 25 | 0 | 25 |
| 10 | 08 | बिन्ता पुत्री श्री संसार चन्द, बीपीएल | 14.12.22 | 23.12.22 | 200 | 0 | 200 |
| 11 | 09 | मिनाक्षी पुत्री श्री काका राम | 08.02.23 | 24'.02.23 | 200 | 0 | 200 |
| 12 | 10 | मोनिका पुत्री श्री मिलखी राम | 31.01.23 | 05.02.23 | 200 | 0 | 200 |
| | | | | | | **कुल :** | **1875** |

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 111 दिनांक 18.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को

सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण की वसूली करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारणों से अवगत करवाते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

**6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹525/– को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–**

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹ 525/–** वसूली की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था:–

| क्र0सं0 | वित्तीय वर्ष | विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि । |
|---|---|---|
| 1 | 2021–22 | 525.00 |

विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 117 दिनांक 18.03.2024 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

**7. आपूर्तिकर्ता के बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में राशि ₹1.00 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानिः–**

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार **₹** 99,764/– का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 110 दिनांक 18.03.24 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है, क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः **₹** 99,764/– के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार अपेक्षित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral

Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

| बिल का विवरण | मद नाम | मात्रा (cft) | मात्रा (cum) | निर्धारित फैक्टर | मात्रा मिट्रिक टन | रॉयल्टी (प्रति मि0 टन) | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22 | रेत | 4330 | 122.62 | 1.62 | 198.64 | 60 | 11918.00 |
| | बजरी | 4760 | 134.80 | 1.52 | 204.89 | 60 | 12293.00 |
| | बोल्डर | 2434 | 68.93 | 2.24 | 154.40 | 60 | 9264.00 |
| | | | | | | कुल : | **33475.00** |
| प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23 | रेत | 2800 | 79.29 | 1.62 | 128.44 | 80 | 10275.00 |
| | बजरी | 5425 | 153.63 | 1.52 | 233.51 | 80 | 18681.00 |
| | बोल्डर | 3425 | 96.99 | 2.24 | 217.25 | 80 | 17380.00 |
| | | | | | | कुल : | **46336.00** |
| | | | | **कुल 2021–22 व 2022–23** | | | **79811.00** |
| | | | | | पैनल्टी 25 % | | 19953.00 |
| | | | | | **कुल योग:** | | **99764.00** |

## 8. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹2.07 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 2,06,704/–के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग

अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118/1 दिनांक 18.03.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी।

अतः नियम प्रावधानों की उल्लंघना कर कृत व्यय के तथ्यपूर्ण कारणों से अवगत करवाते हुये उक्त व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

| वाउचर संख्या व दिनांक | बिल का विवरण | सामग्री का विवरण | राशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 31, 03.12.21 | बिल नं0 679 दि0 03.12.21 शॉन्ति ट्रेडर्ज | रंग रोगन इत्यादि | 18200.00 | नि0 रंगरोगन पंचायत घर SF |
| 09, 07.09.21 | बिल नं0 2491, 2492, 2493 दि0 03.06..21 शॉन्ति ट्रेडर्ज | सैनिटरी फिटिंग | 33448.00 | नि0 शौचालय पंचायत घर 14th FC |
| 16, 03.10.21 | बिल नं0 2266 दि0 01.10.21 मै0 कॉसमॉ इलैक्ट्रिकल | प्रिंटर | 22000.00 | कार्यालय व्यय 14th FC |
| 17, 13.10.21 | बिल नं0 211 दि0 13.10.21 मै0 कॉसमॉस इलैक्ट्रिकल | यूएसबी, डोन्गल इत्यादि | 15400.00 | कार्यालय व्यय 14th FC |
| 03, 20.01.22 | बिल नं0 शून्य दि0 20.01.22 मझैरना को0आ0 एग्री0 सोसायटी | एन्गल | 12266.00 | नि0 लोकमित्र केन्द्र सीढ़ी RGSA/SBM |
| 04, 04.02.22 | बिल नं0 1653 दि0 25.01.22 अम्बिका टिम्बर | दरवाजे, खिड़कियाँ | 24390.00 | नि0 सी0एस0सी0 RGSA/SBM |
| 10, 13.05.22 | बिल नं0 324 दि0 26.04.22 मझैरना को0आ0 एग्री0 सोसायटी | एन्गल | 15000.00 | नि0 हैडपम्प नियर सोसायटी 15th FC |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 34, 15.09.22 | बिल नं0 1945 दि0 15.09.22 मझौरना को0आ0 एग्री0 सोसायटी | सैनिटरी फिटिंग | 66000.00 | नि0 शौचालय अप्पर स्टोरी RGSA/SBM |
| | | | **206704.00** | |

## 9. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों से ₹0.05 लाख के अधिक भुगतान बारे ।

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया गया कि पंचायत में इण्टरलॉक टाईल के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 शिवानी की दरें अनुमोदित की गई थी । निविदा में किराये व लेवर अलग से लेने की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी अर्थात निविदा में दरें किराये व लेबर सहित भरी गई थी, लेकिन बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को किराये व लेबर का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 112 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा अधिक भुगतान ₹5500.00 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

| वाउचर सं0 व दिनांक | बिल सं0 व दिनांक | सामग्री का विवरण | भुगतान की गई राशि (₹) | भुगतान योग्य राशि (₹) | अधिक भुगतान राशि (₹) | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, 13.04.21 | 110, 01.01.21 | 1750 इण्टरलॉक टाईलें दर 16/– प्रति व जीएसटी = 33040 किराया व लेवर = 2750/– | 35790.00 | 33040 | 2750.00 | नि0 खेल मैदान वार्ड नं0 4 ZP |
| 01, 13.04.21 | 110, 01.01.21 | 1750 इण्टरलॉक टाईलें दर 16/– प्रति व जीएसटी = 33040 किराया | 35790.00 | 33040 | 2750.00 | नि0 खेल मैदान वार्ड नं0 4 ZP |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | व लेवर = 2750/– | | | | |
| | | | | | 5500.00 | |

**10. ईटों के क्रय में अनुमोदित दरों से ₹0.08 लाख के अधिक भुगतान बारे ।**

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत में ईटों के क्रय हेतु न्यूनतम निविदा के अन्तर्गत मै0 राजेश कुमार की दरें अनुमोदित की गई थीं । निविदा में ₹7.50 प्रति ईंट की दर भरी गई थी। लेकिन बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को 8.50 प्रति ईंट की दर से अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अधिक किये गये भुगतान को पूर्ण न्यायोचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 113 दिनांक 18.03.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें अन्यथा अधिक भुगतान ₹ 8000.00 की उचित स्त्रोत से वसूली करके सम्बन्धित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

| वाउचर सं0 व दिनांक | बिल सं0 व दिनांक | सामग्री का विवरण | भुगतान की गई राशि | भुगतान योग्य राशि | अधिक भुगतान | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02, 20.01.22 | 245, 20.01.22 | 3000 ईंट | 25500.00 | 22500.00 | 3000.00 | नि0 लोक मित्र केन्द्र RGSA/SBM |
| 02, 03.08.22 | 281, 15.03.22 | 2500 ईंट | 21250.00 | 18750.00 | 2500.00 | नि0 लोक मित्र केन्द्र RGSA/SBM |
| 01, 07.04.23 | 282, 20.03.22 | 2500 ईंट | 21250.00 | 18750.00 | 2500.00 | नि0 शौचालय RGSA/SBM |
| | | | | कुलः | 8000.00 | |

## 11 निर्माण हेतु क्रय सामग्री में ₹0.09 लाख के अधिक भुगतान बारे ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत में निर्माण कार्य जीप रोड समीर के घर से मिलखी राम के घर तक क्रशर रेत 600 क्यु0 फुट का क्रय किया गया था जिसकी प्रविष्टि माप पुस्तिका संख्या 16737 के पृष्ठ 8 पर दर्ज है । माप पुस्तिका की जाँच पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्य पर निर्धारित मापदण्डों अनुसार उपयोग हुई सामग्री की मात्रा क्रय की गई मात्रा से कम थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 116 दिनांक 18.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 सूचित किया गया कि इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है। अतः किये गये भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा ₹9450.00 की राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित की जाये :-

| वाउचर सं0 व दिनांक | बिल सं0 व दिनांक | क्रय की गई सामग्री | माप पुस्तिका अनुसार उपयोग की गई सामग्री | अन्तर | दर | राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 181, 22.10.20<br>179, 19.10.20<br>180, 21.10.20 | क्रशर रेत = 200 cft<br>क्रशर रेत = 200 cft<br>क्रशर रेत = 200 cft | 11.05 cum<br>11.05x35.31 = 390 cft | 210 cft | 45.00 | 9450.00 |

## 12. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान करने बारे।

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के उप नियम 10(2) के अनुसार अधिनियम की धारा 99 की उप धारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन सचिव या पंचायत सहायक ग्राम पंचायत का रोकड़िया होगा जो ग्राम पंचायत के लेखों से या धन/संदायों का प्रत्याहरण या निक्षेप करने को सक्षम होगा, परन्तु सामग्री के क्रय के लिए प्रदायक को किये जाने वाले संदाय केवल क्रास चैक द्वारा ही किये जायेंगे।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया कि निम्नलिखित अदायगियाँ नगद की गई थी, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये :—

| क्र0सं0 | वाउचर संख्या व दिनांक | क्रय की गई सामग्री | भुगतान की गई राशि | रोकड़ बही पृष्ठ संख्या1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23, 19.07.21 | कार्यालय व्यय | 500.00 | |
| | 24, 19.07.21 | कार्यालय व्यय | 390.00 | |
| | 25, 19.07.21 | कार्यालय व्यय | 2610.00 | |
| | 40, 03.02.22 | रूटर | 3610.00 | |
| | 41, 08.02.22 | टेलीफोन सैट | 1444.00 | |
| | 42, 11.02.22 | चायपान | 780.00 | |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 114 दिनांक 18.03.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 सूचित किया गया कि भविष्य में इस बारे ध्यान रखा जायेगा। इस विषय पर कार्यवाही करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार इस अनियमितता का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में की जाने वाली अदायगियाँ का भुगतान उपरोक्त नियम के अनुसार ही किया जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

## 13. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹861/— की राशि के अन्तर बारे:—

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ—साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई—पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा था तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर

में बनाये जा रहे हैं, उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹861.00 की राशि का निम्न विवरणानुसार अन्तर पाया गया:–

| | | |
|---|---|---|
| 31.03.2023 को प्रिया सार्फ्टवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष | ₹ | 11,14,147.00 |
| 31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष | ₹ | 11,13,286.00 |
| अन्तर | ₹ | 861.00 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 118 दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 19 दिनांक 28.03.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट वाधित होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

## 14. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

| क्र0 सं0 | रजिस्टर का प्रकार/विवरण | प्रारूप | सन्दर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1 | रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर | 4 | 13(5) |
| 2 | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 9 | 30 |
| 3 | विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 | 7 | 34 |
| 4 | प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर | 10 | 33, 77(4) |
| 5 | बजट प्राकल्लन | 11, 12 | 37, 38 |
| 6 | बिल रजिस्टर | 13 | 48 |
| 7 | मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर | 27 | 72 (1)(ग) |
| 8 | माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर | | 101(2) (V) |
| 9 | वर्गीकृत सार | 8 | 29 (4) |

**15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

**16. लघु आपत्ति विवरणिका :–**

इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

**17.** **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50
२९५५ – २९५८ 25 JUN 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)401/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंचरूखी जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत रक्कड़ भेड़ी, विकास खण्ड पंचरूखी, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50

# परिशिष्ट–1

## अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Rakker Bheri" for the year endi 2021-22

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SFC | 92457 | 413448 | 3425 | 509330 | 477777 | 31553 |
| 2 | VKVNY | 36172 | 154421 | 3687 | 194280 | 127000 | 67280 |
| 3 | 14TH FC | 603227 | 38773 | 14353 | 656353 | 656353 | 0 |
| 4 | 15TH FC | 271586 | 881014 | 19660 | 1172260 | 199938 | 972322 |
| 5 | SBM/RGSA | 0 | 513682 | 2476 | 516158 | 173284.72 | 342873.3 |
| 6 | ZP | 50000 | 139093 | 0 | 189093 | 187686 | 1407 |
| 7 | MNREGA | 0 | 2976959 | 0 | 2976959 | 2976959 | 0 |
| | Total Rs. | 1053442 | 5117390 | 43601 | 6214433 | 4798997.72 | 1415435 |

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Rakker Bheri" for the year ended 2022-23

| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | interest | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 SFC | 31553 | 173300 | 1246 | 206099 | 192665 | 13434 |
| 2 | VKVNY | 67280 | 103687 | 2847 | 173814 | 113748 | 60066 |
| 3 | 14TH FC | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 |
| 4 | 15TH FC | 972322 | 830194 | 22246 | 1824762 | 920562.5 | 904199.5 |
| 5 | SBM/RGSA | 342873.28 | 199983 | 1764 | 544620.28 | 542003.48 | 2616.8 |
| 6 | ZP | 1407 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 1407 |
| 7 | MNREGA | 0 | 3071462 | 0 | 3071462 | 3071462 | 0 |
| | Total Rs. | 1415435.28 | 4378626 | 28205 | 5822266.28 | 4840440.98 | 981825.3 |

Balance as per Bank on 31.03.22

| | | |
|---|---|---|
| 1 Own Source, ,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SBM. | | 68951 |
| A/c No. 20113001837 | KCCB Rakker Bheri (SF) | 13434 |
| A/c No. 50056883498 | KCCB Rakker Bheri (5th State) | 110066 |
| A/c No. 50056882473 | KCCB Rakker Bheri (VKVNY) | 7331 |
| A/c No.50056882870 | KCCB Rakker Bheri (14th FC) | 904199.5 |
| A/C No. 88200100005461 | HGB Banuri (15th FC) | 2616.8 |
| A/C No. 88200100005690 | HGB Banuri (SBM/RGSA) | 66 |
| cash in hand | | 1106664 |
| | Total | |

| | | |
|---|---|---|
| | | 131460.5 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source) | | 13434 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (5th State) | | 60066 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (VKVNY) | | 102 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (14th FC) | | 904199.5 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (15th FC) | | 2616.8 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (SBM/RGSA) | | 1407 |
| Cash Book Balance on 31.03.2022 (ZP) | Total | 1113286 |
| | diffrence | 6621.5 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Rakkar Bheri
Dev. Block Panchrukhi (Ka...

Financial Position of Own sources in r/o GP Rakker Bheri

| Years | Op.Balance | Receipt | Instt. | Total | Expenditure | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 232010.5 | 52015 | 4326 | 288351.5 | 111060 | 177291.5 |
| 2022-23 | 177291.5 | 47769 | 142161 | 367221.5 | 235761 | 131460.5 |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Rakkar Bher
Dev. Block Panchrukhi (Kan

List of outstanding Property tax for the period of 2021-22 & 2022-23 in r/o GP Rakker Bheri Distt.Kangra,H.P.

| Years | Op.Balance | Demand during the year | Total | Collection during the year | Closing Balance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 10800 | 45000 | 55800 | 30100 | 25700 |
| 2022-23 | 25700 | 45000 | 70700 | 42900 | 27800 |
| | | | | | |
| | | | | | |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Rakkar Bheri
Dev. Block Panchrukhi (Kangra) H.P.

## Name of Gram Panchayat Rakkar Bheri Dev. Block Panchrukhi Distt Kangra H.P

### 2021-22

| SN | Name of Work | Head | Vendor Name | Voucher No and Date | Bill No and Date | Sand CFT | Bajri CFT | Boulder | Bricks Nos | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cons. Of jeep road Sameer house to milkhi ram | VKVNY | Rajesh Kumar | 1/17/07/2021 | 181 | 200 cft | 200 cft | 200 cft | - | 25000 |
| | | | | 3/17/07/2021 | 180 | 200 cft | 200 cft | 200 cft | - | 25000 |
| 2 | C/O TOILET GUDO DEVI W/O TRILOK CHAND | MGNREGA | M/S AJAYKUMAR | 5/6/2020 | 43 | | | | 300 | 3150 |
| 3 | C/O PLAYGROUND& BEAUTIFICATION NEAR PANCHYAT OFFFICE RAKKAR BHERI WN4 | MGNREGA | M/S AJAYKUMAR | 26/05/20220 | 33 | | 600CFT | | | 24000 |
| | | | M/S AJAYKUMAR | 26/05/2020 | 34 | 400CFT | | | | 18000 |
| | | | Rajesh Kumar | 7/12/2020 | 194 | | 400CFT | | | 16000 |
| | | | Rajesh Kumar | 8/12/2020 | 195 | 300CFT | | | | 13500 |
| 4 | C/O R/Wall NEAR COMMUNITY BHAWAN WN4 | | Rajesh Kumar | 5/12/2020 | 191 | | 200 | | | 8000 |
| 5 | C/O ROAD BEHRU TOWARDS RAILWAY LINE WN.2 | | Rajesh Kumar | 19/11/2020 | 182 | | 400 | | | 16000 |
| | | | Rajesh Kumar | 21/11/2020 | 183 | 400 | | | | 18000 |
| | | | Rajesh Kumar | 10/12/2020 | 197 | | 1000 | | | 40000 |
| | | | Rajesh Kumar | 11/12/2020 | 98 | 700 | | | | 31500 |
| 6 | R/O PATH ACHARYA BASTI TO HIGH SCHOOL WN.5 | | M/S AJAYKUMAR | 25/05/2020 | 39 | 200 | | | | 9000 |
| | | | M/S AJAYKUMAR | 26/05/2020 | 40 | | 300 | | | 12000 |
| | | | Rajesh Kumar | 14/12/2020 | 1 | 600 | | | | 27000 |
| 7 | C/O ROAD INCOMPLETE ROAD GANOH BASTI TOWARDS | | Rajesh Kumar | 15/12/2020 | 2 | | | 400 | | 16000 |
| | | | Rajesh Kumar | 13/12/2020 | 200 | 1000 | | | | 40000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | C/O INCOMPLETE ROAD RAILWAY LINE TOWARDS RAAKH | | Rajesh Kumar | 23/02/2021 | 5 | | | 800 | | 32000 |
| | | | Rajesh Kumar | 23/02/2021 | 6 | 400 | | | | 18000 |
| | | | Rajesh Kumar | 23/02/2021 | 8 | | 400 | | | 16000 |
| | | | Rajesh Kumar | 23/02/2021 | 7 | 200 | | | | 9000 |
| 9 | C/O ROAD MAINTANACE KCC BANK TO VIJAY BAHADUR HOUSE | | Rajesh Kumar | 23/02/2021 | 9 | | 200 | | | 8000 |
| | | | Rajesh Kumar | 23/02/2021 | 10 | | | 200 | | 8000 |
| | | | Rajesh Kumar | 12/3/2021 | 103 | | 300 | | | 12000 |
| | | | Rajesh Kumar | 15/03/2021 | 104 | 300 | | | | 13500 |
| 10 | C/O PATH MAIN ROAD TO DONI PARSAD HOUSE TOWARDS WARD NO | | Rajesh Kumar | 14/03/2021 | 101 | | 200 | | | 8000 |
| | | | Rajesh Kumar | 14/03/2021 | 102 | 200 | | | | 9000 |
| 11 | C/O CHECK DAM NEAR KHUDLI AWA KHAD | | Rajesh Kumar | 24/04/2020 | 19 | 230 | 460 | 584 | | 41564 |
| 12 | C/O CHECK DAM GANGOL NEAR SAMSHANGHAT | | M/S AJAYKUMAR | 17/05/2020 | 36 | | 1100 | | | 44000 |
| | | | M/S AJAYKUMAR | 25/05/2020 | 35 | | | 450 | | 18000 |
| 13 | C/O RAIN WATER HARVESTING TANK NEAR PANCHYAT GHAR WN.4 | | Rajesh Kumar | 14/10/2020 | 177 | | 200 | | | 8000 |
| | | | Rajesh Kumar | 6/12/2020 | 193 | 100 | | | | 4500 |
| | | | | | | 4330 | 4760 | 2434 | 300 | |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat
Dev. Block Panchrukhi (Kangra) H.P.

25

## Name of Gram Panchayat Rakkar Bheri Dev. Block Panchrukhi Distt Kangra H.P

### 2022-23

| SN | Name of Work | Head | Vendor Name | Voucher No and Date | Bill No and Date | Sand CFT | Bajri CFT | Boulder | Bricks Nos | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cons. Of panchayat ghar uppar stori | 15th fc | M/S keshav | 15/13/07/2022 | 120 | 400 cft | - | - | - | 17600 |
| 2 | C/O KUHAL SONKALI HOUSE TO MAIN ROAD TOWARDS | MGNREGA | RAJESH KUMAR | 17/12/2021 | 228 | 200 | | | | 9000 |
| | | | RAJESH KUMAR | 17/12/2021 | 229 | | | 200 | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 20/12/2021 | 233 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 10/1/2022 | 234 | | | 200 | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 25/12/2021 | 237 | | 60 | | | 2280 |
| | | | RAJESH KUMAR | 11/1/2022 | 239 | 200 | | | | 9000 |
| | | | RAJESH KUMAR | 6/1/2022 | 240 | 120 | | | | 540 |
| | | | RAJESH KUMAR | 15/01/2022 | 257 | | 600 | | | 22800 |
| | | | RAJESH KUMAR | 16/01/2022 | 258 | | | 650 | | 24700 |
| 3 | C/O IRRIGATION TANK REENA KUMARI W/O KULBHUSHAN LAND | | RAJESH KUMAR | 4/9/2021 | 203 | 150 | | | | 6750 |
| | | | RAJESH KUMAR | 8/9/2021 | 204 | | 330 | | | 12540 |
| 4 | C/O JEEPROAD/DANGA NIRMAL SHARMA HOUSE PULLYTO TOWARDS MAIN ROAD | | RAJESH KUMAR | 2/8/2021 | 66 | 300 | | | | 13500 |
| | | | RAJESH KUMAR | 1/8/2021 | 67 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 2/10/2021 | 99 | 200 | | | | 9000 |
| | | | RAJESH KUMAR | 17/11/2021 | 205 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 19/11/2021 | 206 | | 200 | | | 7600 |
| 5 | C/O ROAD MAINTANACE KCC BANK TO VIJAY BAHADUR HOUSE | | RAJESH KUMAR | 22/09/2021 | 98 | | 100 | | | 3800 |
| | | | RAJESH KUMAR | 18/09/2021 | 97 | | 200 | | | 7600 |
| 6 | C/O PATH CHAMPA DEVI LAND TO GHAROD TOWARDS WAR | | RAJESH KUMAR | 23/07/2021 | 150 | | | 200 | | 7600 |
| 7 | C/O ROAD BEHRU PULI TO RAILWAY LINE TOWARDS | | RAJESH KUMAR | 15/02/2022 | 261 | | | 600 | | 22800 |
| | | | RAJESH KUMAR | 16/12/2022 | 262 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 15\4/02/2022 | 263 | 200 | | | | 9000 |
| | | | RAJESH KUMAR | 21/03/2022 | 277 | | 1030 | | | 39140 |
| | | | RAJESH KUMAR | 21/03/2022 | 278 | 320 | | | | 14400 |
| 8 | C/O JEEP ROAD PULI TO HOSIYAR SINGH HOUSE TOWARDS | | RAJESH KUMAR | 3/12/2021 | 223 | | | 400 | | 15200 |
| | | | RAJESH KUMAR | 4/12/2021 | 224 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 4/12/2021 | 226 | | | 200 | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 4/12/2021 | 227 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 25/12/2021 | 235 | 200 | | | | 9000 |
| | | | RAJESH KUMAR | 6/1/2022 | 238 | 120 | | | | 5400 |
| | | | RAJESH KUMAR | 12/1/2022 | 241 | | | 120 | | 4560 |
| | | | RAJESH KUMAR | 14/01/2022 | 256 | 240 | | | | 10800 |
| | | | RAJESH KUMAR | 17/01/2022 | 259 | | 140 | | | 5320 |
| | | | RAJESH KUMAR | 18/01/2022 | 260 | | | 500 | | 19000 |
| 9 | C/O PATH RAMESH HOUSE TO GYAN CHAND HOUSE TOWARDS | | RAJESH KUMAR | 12/1/2022 | 232 | 200 | | | | 9000 |
| | | | RAJESH KUMAR | 12/1/2022 | 236 | | 200 | | | 7600 |
| | | | RAJESH KUMAR | 12/1/2022 | 253 | | | 355 | | 13490 |
| | | | RAJESH KUMAR | 13/01/2022 | 254 | | 365 | | | 13870 |

(4)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C/O PATH ROSHAN ACHRAY HOUSE TO SANJEEV HOUSE TOWARDS | RAJESH KUMAR | 17/09/2022 | 96 | 250 | | | | 11250 |
| | | RAJESH KUMAR | 2/10/2021 | 100 | | 200 | | | 7600 |
| | | RAJESH KUMAR | 22/08/2021 | 147 | | 200 | | | 9000 |
| | | RAJESH KUMAR | 24/08/2021 | 148 | | 200 | | | 7600 |
| | | RAJESH KUMAR | 3/9/2021 | 149 | | 200 | | | 7600 |
| 11 | C/O IRRIGATION TANK CHINTAMANI AWESTHI S/O RAMESH CHAND LAND WARD NO 4 | RAJESH KUMAR | 20/12/2021 | 230 | | 200 | | | 7600 |
| | | RAJESH KUMAR | 20/12/2021 | 231 | 100 | | | | 4500 |
| | | | | | 2800 | 5425 | 3425 | | |

Panchayat Secretary
Gram Panchayat, Rakkar Bheri
Dev. Block Panchrukhi (Kangra) H.P.

27